International Journal of Sociology and Humanities

ISSN Print: 2664-8679
ISSN Online: 2664-8687
Impact Factor: RJIF 8
IJSH 2023; 5(2): 33-37
www.sociologyjournal.net
Received: 19-06-2023
Accepted: 25-07-2023

सुवालाल जाखड़
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर, राजस्थान, भारत

Corresponding Author:
सुवालाल जाखड़
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर, राजस्थान, भारत

राजस्थान की पंचायती राज व्यवस्था में महिला सहभागिता

सुवालाल जाखड़

DOI: https://doi.org/10.33545/26648679.2023.v5.i2a.58

सारांश
विशाल जनसंख्या एवं क्षेत्रफल वाले देश भारत मे स्थानीयता या पंचायत का महत्व प्राचीनकाल से हैं। स्थानीय स्तर पर सभी लोग पंचायत करके अपनी समस्याओं का समाधान एवं न्याय प्रदान करते रहे हैं। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अर्न्तगत राज्य से यह अपेक्षा की गयी है कि वह पंचायती राज व्यवस्था की इस प्रकार से संस्थापना करे कि वे जन सहभागिता के लक्ष्य को वास्तविक स्वरूप प्रदान करने में सक्षम हो सके। स्वतंत्रता के पश्चात् महिलाओं में शिक्षा के प्रसार, महिलाओं की सामाजिक भूमिका में संवर्द्धन के लिए अनेक कार्यक्रमों के प्रवर्तन आदि के माध्यम से महिलाओं की राजनीतिक सहभाागिता में वृद्वि हेतु प्रयास किये गये है। राजनीतिक प्रकिया के संबंध में सहभागिता महिलाओं की ऐसी भूमिका को इंगित करती है, जिसमें वह राजनीतिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों और पक्षों में सचेतन रीति से अपनी भूमिका का निर्वाह करती है। महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता के अध्ययन की दृष्टि से विभिन्न सामाजिक विविधताओं को समाहित किये हुए राजस्थान राज्य एक विशिष्ट इकाई है। प्रस्तुत शोध पत्र में राजस्थान में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता का गहन अध्ययन किया गया है। इसके अलावा राजस्थान में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को लोकसभा, विधानसभा, पंचायत राज व मतदान व्यवहार के संदर्भ में समझने का प्रयास किया गया है।

कूटशब्द : पंचायती राज व्यवस्था, महिला सहभागिता, लोकसभा, विधानसभा, पंचायत राज

प्रस्तावना
विश्व में दो प्रकार की शासन व्यवस्था पायी जाती है। 1. लोकतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था 2. अधिनायकतंत्र/निरंकुशतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था। जिसका वर्णन मुख्य रूप से राजनीतिक सहभागिता के आधार पर ही किया जाता है। देश में पंचायती राज संस्थाएं जो कि स्थानीय शासन के निकायों के रूप में स्थापित है वह अपनी परम्परागत स्वरूप खो चुकी है अतः आधुनिक समय की आवश्यकतानुसार पंचायतों का जीर्णोद्वार होना चाहिए, और यह समुचित संसाधनों एवं शक्ति एवं उचित लोगों की सहभागिता द्वारा किया जा सकता है। राजनीतिक सहभागिता महिला सशक्तिकरण हेतु एक सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा सशक्तिकरण के बाधक तत्वों को दूर किया जा सकता है। परन्तु वर्तमान में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के द्वारा राजनीतिक सहभागिता का क्षेत्र व्यापक हो गया हैं यह मात्र मतदान एवं राजनैतिक सक्रियता तक ही सीमित नहीं है बल्कि राजनीतिक सत्ता में भागीदारी होने का तात्पर्य है ''शक्ति प्राप्त करना''।[1]

सन् 1992 में 73 वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय शासन के पंचायती राज निकायों की स्थिति को सुदृढ़ करने एवंसुनिश्चित करने हेतु प्रयास किये गयें। फलत् इन संख्याओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ एवं संशोधन द्वारा इन निकायों को विवेकसम्मत बनाया गया। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को 50 प्रतिशत आरक्षण देकर उनका प्रतिनिधित्व निश्चित किया गया, साथ ही प्रभुता सम्पन्न वर्ग विशेष के नेतृत्व के वर्चस्व को भी यथासंभव कम करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार हर वर्ग के लिए आरक्षित पदों कि एक तिहाई संख्या पर आरक्षण उस वर्ग की महिलाओं का होगा। इस प्रकार हर वर्ग की महिलाओं हेतु आरक्षण की व्यवस्था कर इन्हें ग्राम विकास की मुख्य धारा से जोड़ दिया गया है।[2] महिलाओं हेतु संविधान में आरक्षण के विशेष प्रावधानों द्वारा महिलाओं को राजनीति में भागीदारी के प्रयास करने से ग्रामीण पुर्नर्निमाण को सशक्त किया जा सकेगा। जब किसी वर्ग को उसके अधिकार, सुख–सुविधा, स्वतंत्रता तथा अवसरों से वंचित रखा जाता है तो उस वर्ग द्वारा उन्हे प्राप्त करने हेतु आन्दोलन किया जाता है इसी प्रकार राजनीतिक सहभागिता आन्दोलन की सक्रियता का कारण है।

राजस्थान में 2 अक्टूम्बर 1959 में नागौर जिले में पंडित जवाहर लाल नेहरू के कर कमलों द्वारा बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी गई। अप्रैल, 1993 में 73वां संविधान संशोधन किया गया। जिसके माध्यम से पंचायती राज निकायों को संवैधानिक दर्जा तो प्राप्त हुआ ही साथ ही महिलाओं के लिए पंचायतों में एक तिहाई स्थान आरक्षित करके मूल स्तर पर राजनीतिक सत्ता में उनकी भीगीदारी भी सुनिश्चित कर दी गई। 73 वें संविधान संशोधन के माध्यम से ग्राम सभा का गठन होना अनिवार्य हो गया तथा ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों का गठन होना अनिवार्य हो गया एवं इन्हे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इस प्रकार इस संशोधन से यह प्रभाव हुआ कि भारत में 14 लाख महिलाएं पंचायत चुनाव में निर्वाचित हुई। उन्हे लोकतंत्र के आधारभूत स्तर पर राजनीतिक निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ है।[3]

वर्तमान में महिला का राजनीतिक सशक्तिकरण तो हुआ ही है व साथ ही आर्थिक सशक्तिकरण भी जारी है। आज पंचायती राज व्यवस्था में भी महिलाओं का 50 प्रतिशत आरक्षण कर दिया गया है। अतः वे काफी हद तक आरक्षण का सुविधा का लाभ उठा रही है। आज हर क्षेत्र में चाहें वह राजनीति हो या सामाजिक या फिर आर्थिक क्षेत्र हो सभी में धीरें–धीरें महिलाओं की भूमिका बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि देश राज्य के प्रशासनिक पद हो या राजनीतिक पद उनमें महिला ही बैठी नजर आ रही है। जैसा कि हमारी भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल एवं अभी हाल ही 2022 में नवनियुक्त राष्ट्रपति कोलकाता की द्रोपदी मूर्मू रही है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे थी। पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किये जाने के पश्चात् इन संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी के व्यापक अवसर मिले है। महिलाएं सजग व कार्यशील है। वे अपने फैसले भी स्वयं लेने लगी है। यहां तक की महिलाएं राजनीतिक निकायों की कार्यवाही में भाग भी लेती है व निर्णय–निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करती है।

महिलाओं के राजनीतिक स्तर से अभिप्राय है 'सत्ता में सहभागी' और सत्ता के निर्धारण में महिलाओं को समानता एवं स्वतंत्रता। महिलाओं की समाज में सम्माननीय पद प्रदान किया जाना उनकी राजनीतिक सहभागिता एवं विकास का अभिन्न अंग है। महिलाएँ समाज के लगभग आधे भाग का प्रतिनिधित्व करती है लेकिन उनकी अब तक की राजनीतिक सहभागीता के स्तर को देखा जाए तो लगभग नगण्य ही है। महिलाओं के राजनीति में सक्रिय न होने के कई मूलभूत कारण है। विशेष रूप से ग्रामीण संदर्भों में राजनीतिक सहभागिता ग्रामीण संरचना के कारण ही सम्भव नहीं हो पाई है।[4]

महिलाओं का राजनीतिक क्षेत्र में समानता का अर्थ मात्र वोट डालना नहीं है वरन् सत्ता में सहभागी होना, दल और सरकार सभी स्तरों पर निर्णय लेने एवं नीति–निर्धारण में भाग लेना होता है। संसदीय लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है। किसी भी राष्ट्र को विकास की यथेष्ट विकास के लिए वहाँ की महिलाओं का राष्ट्र को विकास की मुख्य धारा से जुड़ा होना आवश्यक है। यह तभी सम्भव है जब राष्ट्र की महिलाएं सबल एवं सशक्त हों। जिस समाज में नारी महत्त्वपूर्ण सुदृढ़ एवं सम्मानजनक व सक्रिय होगी उतना ही वह समाज उन्नत समृद्ध व मजबूत होगा। इस बात को आधुनिक विचारक व चिंतक भी स्वीकारते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राजनीति में उनकी सहभागिता को बढ़ाना एक महत्त्वपूर्ण बिन्दु है जिस पर ध्यान दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को सिद्ध किया। सन् 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में प्रथम अवसर था जबकि अधिवेशन में बम्बई व कलकत्ता से 10 महिलाओं ने भाग लिया। 1917 में ऐनी बेसेन्ट जो आइरिश महिला थी, उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा के नेतृत्व में 1917 में ही एक प्रतिनिधि मण्डल तत्कालीन समय में भारत आया जिसने महिलाओं के मताधिकार की मांग की। साथ ही 1917 में स्थापित अखिल भारतीय महिला संघ द्वारा महिलाओं को विधानसभा तथा नगरपालिका के चुनाव में मत देने तथा निर्वाचित होने का अधिकार दिलाने की मांग की। जिसके परिणामस्वरूप 1919 के भारत शासन अधिनियम में भारतीय महिलाओं को स्थानीय निकायों में निर्वाचित होने तथा मत देने का अधिकार दिया गया।[5]

भारत में सबसे पहले 1920 में महिलाओं को मद्रास विधानसभा के चुनाव में मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। 1921 में महिलाओं को मुम्बई में स्थानीय निकायों में मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। सन् 1929 में भारत के सभी निकायों में महिला मताधिकार को मान्यता प्रदान कर दी गई। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा महिलाओं को चुनाव में भाग लेने व मत देने दोनों अधिकार प्रदान किये गये। सन् 1937 के आम चुनावों में 80 महिलाएं स्थानीय निकायों से निर्वाचित की गईं परन्तु फिर भी उस युग में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता प्रभाव पूर्ण नहीं बन पाई।

राजनीति में महिलाओं की समान सहभागिता के सवाल पर सन् 1997 में एक अन्तर संसदीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया था जिसमें 77 विकसित देशों में महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया था सम्मेलन में इस तथ्य को विशेष रूप से रेखांकित किया गया था कि विश्व भर में महिलाओं का राजनीतिक में प्रतिनिधित्व बहुत कम हैं। इसे तत्काल बढ़ाये जाने की आवश्यकता हैं। एक अनुमान के मुताबिक समूचे विश्व में महिलाओं की संख्या लगभग 50 प्रतिशत है। लेकिन व्यवस्थाओं में इस 'आधी दुनिया' का प्रतिनिधित्व औसतन लगभग 11.7 प्रतिशत महिलाएँ ही काबिज हैं। भारत जैसे देश में लोकसभा अध्यक्ष पद पर अब किसी महिला को विराजमान होने का अवसर मिला है। मीरा कुमार जो लोक सभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है।

इस दिशा में संविधान के 73वें एवं 74वें 1992–93 संशोधनों के माध्यम से पंचायती राज्यों में महिलाओं के आरक्षण के प्रावधान किये गये हैं क्योंकि यह आरक्षण लोकतंत्र को मजबूत और विकास प्रक्रिया को समृद्ध करने में सक्षम हैं। जिसके कारण महिलाओं की सहभागिता केवल सार्थक ही नहीं रही है अपितु उन्होंने इन संस्थानों के कार्यग्रहण की परम्परागत शैली को भी रूपान्तरित किया है। स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं को मिले अवसरों में राजनीतिक सहभागिता से सामाजिक परिवर्तनों के लिए भी भूमिका तैयार की है।

यद्यपि पंचायती राज में महिला आरक्षण निश्चित ही महिलाओं की राजनीतिक भूमिका निर्वहन के लिए एक सफल प्रयास है लेकिन अन्य स्थानों पर अर्थात् राज्य व केन्द्रीय स्तर पर महिलाओं की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। 1996 से लम्बित पड़ा विधेयक इस बात का सूचक है कि पुरूष सांसदों और राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं को इससे भय व आशंकाएं हैं लेकिन इस विधेयक से निश्चित ही लोकसभा व विधानसभाओं में महिलाओं की राजनीतिक चेतना व उनकी सहभागिता निश्चित ही बढेगी इसलिए शासन के क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढाया जाए और इसके लिए आरक्षण ही एक विकल्प हो सकता है।

73वें संविधान संशोधन के पश्चात् राजस्थान के पंचायती राज व्यवस्था के तीनों स्तरों पर चुनाव जनवरी 1995 में सम्पन्न हुआ। दूसरा चुनाव 2000 में, तीसरा 2005 में हुआ।[6] वर्तमान में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है जिसके तहत 2010 एवं 2015 में चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं। राजस्थान में पंचाचती राज संस्थाओं के आम चुनाव तीन चरणों में सम्पन्न हुये जिसमें

जिला प्रमुख, जिला परिषद् सदस्य, प्रधान, पंयाचत समिति सदस्य व सरपंच, वार्ड पंच का निर्वाचन हुआ। इससे संबंधित तालिकाये नीचे दर्शायी गयी है जो इस प्रकार हैः–[7]

तालिका 1: राजस्थान में 1995 से लेकर 2015 तक हुये पंचायती राज चुनाव में महिला सहभागिता

पदों के नाम	कुल पद	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिला
वर्ष 1995					
जिला प्रमुख	31	4	4	5	10
जिला परिषद् सदस्य	97	177	154	119	331
प्रधान पंचायत समिति	237	41	36	35	80
पंचायत समिति सदस्य	5257	943	804	625	1740
सरपंच	9185	1643	1477	1060	3064
वार्ड पंच	103712	17902	15616	13137	33566
कुल	119419	20712	18692	14185	38791
वर्ष 2000					
जिला प्रमुख	32	5	5	4	13
जिला परिषद् सदस्य	1008	182	166	148	332
प्रधान पंचायत समिति	237	32	27	24	83
सरपंच	9168	1618	1471	1058	3158
वार्ड पंच	105155	17982	16121	13447	33589
कुल	120875	20437	18353	15518	39087
वर्ष 2005					
जिला प्रमुख	32	3	2	11	13
जिला परिषद् सदस्य	1008	181	155	160	133
प्रधान पंचायत समिति	237	32	25	23	88
पंचायत समिति सदस्य	5257	940	806	826	1746
सरपंच	9168	1606	1784	1367	3056
वार्ड पंच	105102	18593	16442	18084	35408
कुल	120827	21365	19228	20473	40644
वर्ष 2010					
जिला प्रमुख	33	6	5	13	17
जिला परिषद् सदस्य	1013	24190	185	384	390
प्रधान पंचायत समिति	249	42	46	83	90
पंचायत समिति सदस्य	5273	1034	956	2041	2050
सरपंच	9166	1681	1970	3690	3780
वार्ड पंच	115102	15880	17442	36408	37760
कुल	130836	42833	20604	42619	44087
वर्ष 2015					
जिला प्रमुख	33	4	6	13	18
जिला परिषद् सदस्य	1014	24195	191	385	398
प्रधान पंचायत समिति	249	42	49	85	91
पंचायत समिति सदस्य	5274	1042	964	2101	2064
सरपंच	9166	1694	2004	3705	3783
वार्ड पंच	115121	15884	17454	36437	37784
कुल	130857	42861	20668	42726	44138

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियिम 1994 के तहत् पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओ को 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त हुआ। जिसकी वजह से महिलाओं को तीन स्तरों पर प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। राजस्थान में सन् 1995 से पहले कोई भी महिला पंयाचत स्तर पर चुनकर नहीं आई थी। तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि आरक्षण मिलने के कारण पहली बार पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं ने अपनी सहभागिता दर्शायी। पंचायत आम चुनाव वर्ष 2000 में तीनों स्तरों पर महिलाएं 33 प्रतिशत से अधिक चुनकर आई। सन् 1995 के चुनावों की तुलना में सन् 2000 के चुनावों में समस्त पदों में महिलाएं अधिक चुनकर राजनीति में आई है। इससे पता चलता है कि महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता में बढोत्तरी हुई है। उपरोक्त तालिका को देखने से स्पष्ट होता है कि पंचायत आम चुनाव 1995, 2000, 2005, 2010 एवं 2015 के चुनावों के प्रतिशत को देखें तो ज्ञात होता है कि समस्त चुनावों में महिलाओं की सहभागिता धीरे–धीरे बढ़ रही है।

राजस्थान के लोकसभा चुनावों में महिला सहभागिता

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् स्थितियों में परिवर्तन आया। 1950 के बाद भारतीय संविधान में प्रत्येक भारतीय को जो 21 वर्ष (61वें संशोधन में 18 वर्ष कर दी गई) आय पूर्ण कर चुका हो, वह बिना किसी भेदभाव के मताधिकार का उपयोग कर सकता है। 1952 के आम चुनावों में 17.3 करोड़ मतदाता थे, लेकिन मतदान केवल 46 प्रतिशत हुआ जिनमें से महिलाएं 37 प्रतिशत थी। राजस्थान में कुल 28 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया।[8] महिलाएं पिछले डेढ़ दशक से अपनी सहभागिता को बढ़ाने का अथक प्रयास कर रही है। यह अप्रत्याशित और सुखद है कि 1952 के आम चुनावों में 17.3 करोड़ मतदाता थे, लेकिन मतदान केवल 46

प्रतिशत हुआ जिनमें से महिलाएं 37 प्रतिशत थी। राजस्थान में कुल 28 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया।[9] 16वीं लोकसभा में महिलाएं सबसे ज्यादा पहुँची है जो अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। कुल 556 महिलाओं ने चुनावों में भाग लिया जिनमें से 6 महिला निर्वाचित रहीं। इसमें उत्तर–प्रदेश से 12, पश्चिम बंगाल से 7 और राजस्थान से 3 महिलाएं चुनी गईं। 14वीं लोकसभा में 355 महिला उम्मीदवार थी जिनमें से मात्र 45 महिलाएं लोकसभा में पहुँच पायी। नई लोकसभा में पिछले की तुलना में 13 महिलाएं ज्यादा पहुँची, जहाँ वह 10 फीसदी लक्ष्मण रेखा को पार कर गई। 15 साल पहले महिलाओं को विधानसभा व संसद में 33 फीसदी आरक्षण की मांग निलम्बित कर दी गई थी। यह विधेयक 1996 से अब तक कई बार लोकसभा में पारित हो चुका, परन्तु आम सहमति न मिलने के कारण यह बार–बार निलंबित होता रहता है। 13वीं लोकसभा में 4 (16 प्रतिशत) महिला सांसद ही निर्वाचित हो सकी, जबकि राज्यसभा में यह आंकड़ा 9.3 प्रतिशत रहा। औसतन प्रथम चुनावों 2014–15 तक महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता काफी कम देखने को मिली है। यदि राजस्थान की राजनीति में महिला सहभागिता का प्रतिशत देखा जाए तो 5 प्रतिशत तक ही रहा है।[10] आजादी के बाद 2019 तक हुए आम चुनाव में कुल 180 महिला प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा और इनमें से 34 महिलायें संसद में पहुंच पाईं। इन महिलाओं का विवरण इस प्रकार है :–

तालिका 2: लोकसभा चुनावों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधि

क्र.सं.	वर्ष	कुल सीट	पुरूष	महिला	महिला प्रतिशत
1.	1952	22	22	0	0.00
2.	1957	22	22	0	0.00
3.	1962	22	21	1	4.54
4.	1967	23	22	1	4.34
5.	1971	23	21	2	8.69
6.	1977	25	25	0	0.00
7.	1980	25	24	1	4.00
8.	1984	25	23	2	8.00
9.	1989	25	24	1	4.00
10.	1991	25	21	4	16.00
11.	1996	25	21	4	16.00
12.	1998	25	22	3	12.00
13.	1999	25	21	4	16.00
14.	2004	25	23	2	18.00
15.	2009	25	22	3	12.00
16.	2014	25	22	3	12.00
17.	2019	25	22	3	12.00

***Source*:** http://www.eci.nic

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि राजस्थान की सीटों पर हुए लोकसभा चुनावों में महिलाओं की सहभागिता नगण्य रही। 1952 से 2019 तक के चुनावों में महिलाओं की स्थिति सामान्यतः बराबर रही है।

राजस्थान के विधानसभा चुनावों में महिला सहभागिता

भारत में सबसे पहले 1920 में महिलाओं को मद्रास विधानसभा के चुनाव में मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। 1921 में महिलाओं को मुम्बई में स्थानीय निकायों में मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। सन् 1929 में भारत के सभी निकायों में महिला मताधिकार को मान्यता प्रदान कर दी गई। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा महिलाओं को चुनाव में भाग लेने व मत देने दोनों अधिकार प्रदान किये गये। सन् 1937 के आम चुनावों में 80 महिलाएं स्थानीय निकायों से निर्वाचित की गईं परन्तु फिर भी उस युग में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता प्रभाव पूर्ण नहीं बन पाई। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के आम चुनाव में महिलाओं का प्रतिनिधित्व शून्य था। यानी एक भी महिला पहले चुनाव में निर्वाचित होकर विधानसभा नहीं पहुंची। अब 14वीं विधानसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी शून्य से साढ़े तेरह प्रतिशत तक बढ़ गई है। यह देशभर की विधानसभाओं में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है। राजस्थान में 15वीं विधानसभा के लिए हुए चुनाव में जहां कांग्रेस ने 27 महिलाओं को टिकट दिया वहीं बीजेपी ने 23 महिलाओं को अपना उम्मीदवार बनाया था। इनमें से कांग्रेस की 11 और बीजेपी की 10 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। राजस्थान में इस बार अपेक्षाकृत कम संख्या में ही महिलाएं विधायक बन पाई हैं। कुल मिलाकर यह आंकड़ा 22 रहा है, जबकि 2013 में 25 एवं 2018 में 27 महिलाएं विधायक के रूप में विधानसभा पहुंची थीं।

तालिका 3: विधानसभा चुनावों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधि

क्र.सं.	वर्ष	कुल सीट	निर्वाचित महिला विधायक	महिला प्रतिशत
1.	1952	160	2	1.25
2.	1957	176	9	5.11
3.	1962	176	8	4.55
4.	1967	184	6	3.26
5.	1972	184	10	5.43
6.	1977	200	8	4.00
7.	1980	200	10	5.00
8.	1985	200	17	8.50
9.	1990	200	11	5.50
10.	1994	200	9	4.50
11.	2000	200	15	7.50
12.	2003	200	13	6.50
13.	2008	200	29	14.50
14.	2013	200	25	12.50
15.	2018	200	27	13.50

***Source*:**
http://www.indian_election.com/assembly_election_rajasthan

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में महिलाओं की सहभागिता को देखा जाए तो 1952–2013 तक गठित 14वीं विधानसभा तक प्रदेश की 177 महिलाओं ने विजय प्राप्त की है जो विधानसभा का मात्र 8.85 प्रतिशत ही है। 14वीं विधानसभा में 25 महिलाओं ने विजय प्राप्त कर अपनी राजनीतिक सहभागिता को दर्शाया है। अतः 15वीं विधानसभा एवं लोकसभा के अवलोकन से स्पष्ट है कि महिलाओं को राजनीतिक जीवन का पूर्णतः ज्ञान एवं अनुभव तभी होगा जब उन्हें अवसर दिया जायेगा कि वह अपनी दक्षता का परिचय दें।

राज्यसभा में महिला सदस्य

राजस्थान से राज्यसभा में हिस्सेदारी के लिहाज से प्रदेश की आधी आबादी को अब तक केवल 6 फीसदी ही कोटा मिला पाया है। 1952 से लेकर अब तक हुए चुनावों और उपचुनावों में पार्टियों ने 8 महिलाओं को ही टिकट दिया है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान की राजनीति के शुरुआती दौर में महिलाओं को राज्यसभा प्रत्याशी बनाने को लेकर स्थिति कमजोर थी। शुरुआती दौर में राज्यसभा के हर एक चुनाव में महिलाओं को चुनकर भेजा जाता रहा है। 1952 से अब तक प्रदेश के कोटे से निर्वाचित राज्यसभा सांसदों की सूची में 139 में से मात्र 8 महिलाएं ही 11 बार राज्यसभा पहुंची हैं। इनमें से 7 महिला उम्मीदवार कांग्रेस से एवं एक भाजपा प्रत्याशी के रुप में राज्सभा पहुंची। शारदा भार्गव तीन बार और प्रभा ठाकुर कांग्रेस से दो बार राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं।

तालिका 4: राज्यसभा में राजस्थान की महिला सदस्य

वर्ष	कुल सदस्य	महिला सदस्य	प्रतिशत	पुरूष सदस्य	प्रतिशत
1952	10	1	10.0	9	90.0
1954	3	0	0	3	100
1956	4	1	25.0	3	75.0
1958	4	0	0	4	100
1960	3	0	0	3	100
1962	4	1	25.0	3	75.0
1964	5	0	0	5	100
1966	6	1	16.67	5	83.33
1968	5	0	0	5	100
1970	3	1	33.33	2	66.67
1972	3	1	33.33	2	66.67
1974	4	0	0.0	4	100
1976	3	1	33.33	2	66.67
1978	3	0	0.0	3	100
1980	4	0	0.0	4	100
1982	3	0	0.0	3	100
1984	5	1	20.0	4	80.0
1986	4	0	0.0	4	100
1988	3	0	0.0	3	100
1990	4	0	0.0	4	100
1992	4	0	0.0	4	100
1996	4	0	0.0	4	100
1991	4	0	0.0	4	100
2000	3	1	33.33	2	66.67
2002	3	1	33.33	2	66.67
2004	5	1	20.0	4	80.0
2009	3	0	0.0	3	100
2014	10	0	0.0	10	100

***Source*:** http://www.eci.nic

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि राज्यसभा में राजस्थान की महिला सदस्यों का प्रतिशत पुरूषों की तुलना में हमेशा ही बहुत कम रहा है। तालिका से स्पष्ट है कि जहाँ पुरूषों का प्रतिशत हमेशा ही लगभग 66 प्रतिशत से अधिक रहा वही महिलाओं का लगभग 34 प्रतिशत से कम ही रहा है।

राजस्थान में पंचायतों में महिलाऐं सन् 1995 के चुनावों में राजस्थान में पंचायती राज के तीनों स्तरों ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद में कुल 31751 महिलाएँ जन–प्रतिनिधियों के रूप में निर्वाचित हुई।

तालिका 5: पंचायती राज संस्थाओं में महिलाएं

पद	कुल पद	महिला प्रतिनिधि
वार्ड पंच	105129	35263
सरपंच	3062	9186
पंचायत समिति सदस्य	1755	5257
प्रधान	80	237
जिला परिषद सदस्य	336	1008
जिला प्रमुख	11	32
कुल	40507	120899

***Source*:** http://www.indian_election.com

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 40 हजार महिलाओं से ज्यादा महिलाएं राजस्थान के पंचायती राज व्यवस्था में सक्रिय है। जिला परिषद सदस्य के लिए 1039 महिलाओं ने चुनाव लड़ा और पंचायत समिति सदस्य के लिए 6220 महिलाओं ने चुनाव लड़ा। सन् 2000 के चुनावों में 2 करोड़ 46 लाख 42 हजार 707 निर्वाचक थे जिनमें 11713467 महिलाएं थी, जो कुल मतदाता के 47.5 प्रतिशत थी। सन् 2000 में चुनावों में 763 महिलाओं ने जिला परिषद् उम्मीदवारी के लिए भाग लिया। 336 ने चुनाव जीता। सन् 2000 के पंचायत समिति के चुनावों में 4538 महिलाओं ने भाग लिया।

निष्कर्ष

अतः प्रस्तुत अध्याय में राजनीतिक सहभागिता के विविध आयाम के साथ–साथ राजस्थान के लोकसभा, विधानसभा एवं राज्यसभा चुनावों में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता का भी विश्लेषण किया गया है। महिलाओं की बेहतर राजनीतिक भूमिका एवं सहभागिता के लिए वैधानिक और वैचारिक दोनों स्तर पर कार्य करना होगा इसके लिए निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों में निरन्तर अभियानों के माध्यम से उनमें आत्मविश्वास एवं क्षमता का निर्माण करना होगा ताकि वे शासन में सक्रिय व प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकें। कानून यद्यपि संरचनात्मक विषमता को समाप्त नहीं कर सकते हैं लेकिन केवल कानून निर्माण ही काफी नहीं है साथ ही समाज में भी समानता की संस्कृति का प्रचार–प्रसार करना होगा। महिलाओं के प्रति समाज की सोच में बदलाव होना अतिआवश्यक है तभी निर्वाचित महिलाएं कुशल नेतृत्व कर्त्ता बन सकेगी।

संदर्भ

1. कौशिक आशा, "नारी सशक्तीकरणः विमर्श एवं यथार्थ", पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 302003, 2004, पृ.सं. 258
2. गोयल एस. एल., राजेश, शालिनी, "पंचायती राज इन इण्डिया थ्योरी एण्ड प्रेक्टिस", दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स प्रा.लि., दिल्ली, 110027, 2003, पृ.सं. 275
3. वर्मा सवलिया बिहारी, एम. एल. सोनी, संजीव गुप्ता – पूर्वोक्त, पृ.सं. 121
4. एम.एन. अंसारी – महिला और मानवाधिकार, ज्योति प्रकाशन, जयपुर 2000, पृ.सं. 329
5. कमलेश कुमार सिंह – ''भारतीय प्रशासन'', राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2008, पृ. 85–86
6. अग्रवाल, नीलिमा, राजस्थान में महिला पंचायती राज दशा, दिशा, कुरूक्षेत्र, नवम्बर 2005
7. http://sec.rajasthan.gov.in/StatisticsArchiveNew.aspx
8. कमलेश कुमार सिंह – ''भारतीय प्रशासन'', राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2008, पृ. 87
9. वही, पृ. 88
10. http://www.indian_election.com/assembly_election_rajasth an//accessed on 13 April 2016